हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्याः ईडीएन(टीई)ए(3)–4 / 2021 तारीख, शिमला–2 05 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ईडीएन (टीई)ए (3)—15 / 2015, तारीख 04.07.2017 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, वर्ग अनुदेशक, वर्ग—।।। (अराजपत्रित), के पद के भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- नाम (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक और प्रारम्भ :-प्रशिक्षण विभाग, वर्ग अनुदेशक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2022 है।
 - ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में (2)प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, वर्ग अनुदेशक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति, नियम, 2017(जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के उपाबन्ध-"क" में. -
 - क) स्तम्भ संख्या ४ के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

2. उपाबन्ध—"क"

का संशोधन :-

如中华 邓中亚 中中市 北京縣、東京东

"(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल 12"।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाँ:

" हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।"

- (ख) स्तम्भ संख्या ७ के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
- " (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं कक्षा पास की हो: परन्तु अभ्यर्थी ने केन्द्रीय/ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्य्क रूप से मान्यता प्राप्त हिमाचल में अवस्थित किसी स्कूल/ संस्थान से आठवीं और दसवीं पास की हो:

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रोद्यौगिकी / इंजीनियरिंग में डिग्री के पश्चात् किसी प्रख्यात औद्योगिक समुत्थान या

(3)

प्रशिक्षण संस्थान से तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से प्रोद्योगिकी/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के पश्चात् किसी प्रख्यात औद्योगिक समुत्थान या प्रशिक्षण संस्थान से पाँच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

या

आई०टी०आई० (राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र) के पश्चात् किसी प्रख्यात औद्योगिक समुत्थान या प्रशिक्षण संस्थान से आठ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।"

(ग) स्तम्भ संख्या 11 खंड (।।)(i) के स्पष्टीकरण के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यिव वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधी के दौरान सशस्त्र बलों मे भर्ती हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मेड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए

(4)

गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।"

(घ) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

" सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।"

(ड़) स्तम्भ संख्या 15—क (।।) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"संविदा के आधार पर नियुक्ति वर्ग अनुदेशक को ₹ 25800 / – की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी प्रतिमास संदत्त की जाएगी)।" (च) स्तम्भ संख्या 15-क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।"

(छ) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) (क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" संविदा के आधार पर नियुक्त वर्ग अनुदेशक को ₹ 25800 / — समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगा) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।"

(ज) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) (ख) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।"

(झ) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कं दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर

5)

नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकरिमक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।"

(ञ) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) (च) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

" चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यार्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्य को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा — शर्त के रूप में करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया

जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थिगत रखा जाएगा और जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था का तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्कता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।"

- परिशिष्ट–।
 का लोप।
- उपाबन्ध—'ख' का संशोधन।
- नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। का लोप किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, वर्ग अनुदेशक, वर्ग—।।। (अराजपत्रित), के पद के भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2017 से संलग्न उपाबन्ध —'ख' के स्थान पर निम्नित्खित रखा जाएगा, अर्थात्:—

उपाबन्ध-"ख"

"वर्ग अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य...... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमती.........पुत्र / पुत्री श्री...... निवासी..........संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वर्ग अनुदेशक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

- प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 28500 / (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगा) प्रतिमास होगी।
- 3. "संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक

नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. "संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आक्रिमक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी० सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त क्यें कसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकिस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त



(11)

व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपरिधित की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, 7. चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा- शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवास्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती

-

है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी० एफ० / जी० पी० एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख,मास और वर्ष को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1		
(नाम व पूरा पता)		
2		
(नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार	के हस्ताक्षर)

5

रना	क्षिय	में ट	ती	उपि	रेथति	में:
1.			••••			
		• • • • • •				
	(=		ਕ ਕ	पूरा	पता)	
2.						
	·····		 व	 परा	पता)	

(द्वित्तीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा, अमिताभ अवस्थी सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याःईडीएन(टीई)ए(3)—4/2021 तारीख, शिमला—2 05 दिसम्बर, 2022 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002।
- 2. अतिरिक्त विधि सलाहकार—एवं—अतिरिक्त सचिव(विधि—परामर्श) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002।
- सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–171002 को उनके पत्र संख्याः 6–3 / 71–पीएससी–भाग दिनांक 29.07.2022 ।
- 4. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर।

निदेशक, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हि०प्र० सुन्दरनगर जिला मण्ड़ी को उनके पत्र संख्याः एसटीवी (आईटी)एचबी(2)4/2017—आर एण्ड़ पी रूल्ज/जी०आई०—79531 दिनांक 22.11.2021 ।

(शुभ करण सिंह) विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार दूरभाष न0 0177–2624554

(14)

(Authoritative English text of this Department Notification No. EDN(TE)A (3)-4/2021 dated 05.12.2022 as required under article 348 (3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Department of Industrial Training

No. EDN(TE)A(3)-4/2021 Dated, Shimla-171002 the 05th December, 2022

NOTIFICATION

In exercise, of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Group Instructor Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017, notified vide this Department notification No. EDN (TE)A(3)-15/2015 dated 04.07.2017, namely:-

- Short title and (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, commencement:

 Technical Education, Vocational & Industrial
 Training Department, Group Instructor, Class-III
 (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion
 (Second amendment) Rules, 2022.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh
- In Annexure "A" attached to the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Group Instructor, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017 (herein after referred to as

the "said rules"),:-

-

- (a) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely: -
- (i) Pay Band for regular incumbent(s):

 "Level-12 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
- (ii) Emoluments for Contract employee(s): "60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
- (b) For the existing provisions against Column No.7, the following shall be substituted, namely: -
- (i) 10th Class pass from a recognized Board of School Education.

Provided that the candidate must have passed Middle and Matriculation from any School/Institution situated within Himachal Pradesh, duly recognized by Central/ H.P. Government.

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(ii) Degree in Technology/Engineering from a recognized University with three years post qualification practical experience in a reputed Industrial concern or in a training Institute.

OR

Diploma in Technology/Engineering from a recognized University/Board with five years post qualification practical experience in a reputed Industrial concern or in a training Institute.

(لك

OR

ITI (National Trade Certificate/ National Apprenticeship Certificate) with eight years post qualification practical experience in a reputed Industrial concern or in a training Institute".

(c) For the existing provision in Column No. 11 Clause-(II) (i) Explanation the following shall be substituted, namely: -

"The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Exservicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under".

(d) For the existing provision against Column No. 15 the following shall be substituted, namely: -

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency/authority, as the case may be".

(ن

(e) For the existing provision against Column No. 15-A(II) the following shall be substituted, namely: -

"The Group Instructor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 25800/- PM (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre)".

(f) For the existing provision against Column No. 15-A(IV) the following shall be substituted, namely: -

"Selection for appointment to the post in the case of contract appointment recruitment shall be made on the basis of the merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/ other recruiting agency/authority, as the case may be".

(g) For the existing provision against Column No. 15-A (VII) (a) the following shall be substituted, namely: -

"The Group Instructor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 25800/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre)".

(h) For the existing provision against Column No. 15-A (VII) (b) the following shall be substituted, namely: -

"The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he / she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him / her".

(i) For the existing provision against Column No. 15-A (VII) (c) the following shall be substituted, namely: -

"The contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting onemonth's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto

(ل

the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year".

(j) For the existing provision against Column No. 15-A (VII) (f) the following shall be substituted, namely: -

"Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her".

3 Deletion of Appendix-I

Appendix-I attached with the rules is hereby omitted/deleted.



4 Amendment of Annexure 'B'

For the Annexure-'B' appended with the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Group Instructor, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017, the following shall be substituted, namely:-

Annexure -"B"

"Form of contract/ agreement to be executed between the Group Instructors & the Government of Himachal Pradesh through

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Group Instructor on contract basis on the following terms and conditions: -

Provided that for—further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

(ك

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 25800/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he / she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him / her.
- 4. The contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage, including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. That unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty: Provided that he/she



- shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
- An official appointed on contract basis who has completed three years tenure
 at one place of posting will be eligible for transfer on need-based basis
 wherever required on administrative ground.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- 8. The Contractual Group Instructor shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- 9. That Employees Group Insurance Scheme, EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

	a
(Name and full address)	(Signature of the FIRST PARTY)
(Name and full address)	

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

IN I	HE PRESENCE OF WITNESS:	
1		
	(Name and full address)	(Signature of the SECOND PARTY)"
2		9
	(Name and full address)	

By order

Amitabh Avasthi Secretary (Tech. Edu.) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. EDN (TE) A (3)-4/2021 Dated, Shimla-2 the 05th December, 2022 Copy forwarded to the following for information and necessary action: -

- 1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
- 2. The Additional Legal Remembrance-cum-Additional Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
- 3. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-171002 w.r.t. letter No.6-3/71-PSC-Part dated 29.07.2022.
- 4. The Secretary, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
- 5. The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. Sundernagar, Distt. Mandi w.r.t. letter No.STV(IT)HB(2)4/2017-R&P Rules/G.I.-79531 dated 22.11.2021.

(Shubh Karan Singh)
Special Secretary (TE) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2624554